संख्या-38/2019/970/52-1-2019-12(पी0एम0जे0वी0के0)/19

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2019

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 15वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 08.03.2019 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व नाम एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद-भदोही, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, गाजीपुर, मेरठ एवं मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर में स्वीकृत विभिन्न पाइप पेयजल परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की **प्रथम किश्त** की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 13/33/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दि0 20.03.2019 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त को उपरोक्त जनपदों के पाईप पेयजल परियोजनाओं के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 14648.75 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (सी0एल0डी0एफ0)** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 7324.54 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 3662.189 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ बासठ लाख अट्ठारह हजार नौ सौ मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 3662.189 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ बासठ लाख अट्ठारह हजार नौ सौ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 7324.378 लाख (रूपये तिहत्तर करोड़ चौबीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि (64 युनिट के लिए) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित बजट रू0 10000.00 लाख तथा अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त रू0 5000.00 लाख अर्थात कुल रू0 15000.00 लाख (एक अरब पचास करोड़ मात्र)के सापेक्ष अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

http://gtasanadesh.up.gov.in

(केन्द्रांश-50, राज्यांश-50) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**भदोही**	भदोही के दुलमदासपुर में पाईप पेयजल योजना	1	205.52	102.76	102.76	205.52	51.38	51.38	102.76
2	तदैव	भदोही के जद्रदुपुर में पाईप पेयजल योजना	1	199.29	99.65	99.65	199.29	49.8225	49.8225	99.645
3	तदैव	भदोही के पलहिया में पाईप पेयजल योजना	1	155.02	77.51	77.51	155.02	38.755	38.755	77.51
4	तदैव	भदोही के कोल्हण में पाईप पेयजल योजना	1	149.20	74.60	74.60	149.20	37.30	37.30	74.60
5	तदैव	भदोही के अर्जुनपुर में पाईप पेयजल योजना	1	132.31	66.16	66.16	132.31	33.0775	33.0775	66.155
6	तदैव	भदोही के ज्ञानपुर के गहरपुर में पाईप पेयजल योजना	1	130.59	65.30	65.30	130.59	32.6475	32.6475	65.295
7	तदैव	भदोही के ज्ञानपुर के चकसुन्दर में पाईप पेयजल योजना	1	114.89	57.45	57.45	114.89	28.7225	28.7225	57.445
8	तदैव	भदोही के ज्ञानपुर के हिन्चनपुर में पाईप पेयजल योजना	1	131.52	65.76	65.76	131.52	32.88	32.88	65.76
9	तदैव	भदोही के औराई के त्रिलोकपुर में पाईप पेयजल योजना	1	165.29	82.65	82.65	165.29	41.3225	41.3225	82.645
10	तदैव	भदोही के औराई के जयरामपुर में पाईप पेयजल योजना	1	195.08	97.54	97.54	195.08	48.77	48.77	97.54
11	तदैव	भदोही के औराई के माधौपुर में पाईप पेयजल योजना	1	225.65	112.83	112.83	225.65	56.4125	56.4125	112.825
12	तदैव	भदोही के औराई के मोहम्मदपुर में पाईप पेयजल योजना	1	167.75	83.88	83.88	167.75	41.9375	41.9375	83.875
13	तदैव	भदोही के औराई के चक मजूद में पाईप पेयजल योजना	1	129.36	64.68	64.68	129.36	32.34	32.34	64.68
		योग	**13**		**1050.77**	**1050.77**	**2101.47**	**525.3675**	**525.3675**	**1050.735**
14	**बागपत**	बागपत के बनौली के नागलारावा में पाईप पेयजल योजना	1	132.64	66.32	66.32	132.64	33.16	33.16	66.32
15	तदैव	बागपत के बनौली के मुजफ्फरपुर कनवारा में पाईप पेयजल योजना	1	152.65	76.33	76.33	152.65	38.1625	38.1625	76.325
16	तदैव	बागपत के पीलाना के दौलतपुर में पाईप पेयजल योजना	1	119.08	59.54	59.54	119.08	29.77	29.77	59.54
17	तदैव	बागपत के चपरौली के तूगाना में पाईप पेयजल योजना	1	326.27	163.14	163.14	326.27	81.5675	81.5675	163.135
		योग	**04**		**365.33**	**365.33**	**730.64**	**182.66**	**182.66**	**365.32**

http://shasanadesh.up.gov.in

18	**बहराइच**	बहराइच के चित्तुरा के भगवानपुर माफी में पाईप पेयजल योजना	1	247.24	123.62	123.62	247.24	61.81	61.81	123.62
19	तदैव	बहराइच के चित्तुरा के सोहरा में पाईप पेयजल योजना	1	527.60	263.80	263.80	527.60	131.90	131.90	263.80
20	तदैव	बहराइच के चित्तुरा के किशुनपुर माफी में पाईप पेयजल योजना	1	216.35	108.18	108.18	216.35	54.0875	54.0875	108.175
21	तदैव	बहराइच के चित्तुरा के लुका में पाईप पेयजल योजना	1	252.55	126.28	126.28	252.55	63.1375	63.1375	126.275
22	तदैव	बहराइच के चित्तुरा के बिचला में पाईप पेयजल योजना	1	245.53	122.77	122.77	245.53	61.3825	61.3825	122.765
23	तदैव	बहराइच के चित्तुरा के फुलवारिया में पाईप पेयजल योजना	1	211.31	105.66	105.66	211.31	52.8275	52.8275	105.655
24	तदैव	बहराइच के केसरगंज के चकपिहानी में पाईप पेयजल योजना	1	225.13	112.57	112.57	225.13	56.2825	56.2825	112.565
25	तदैव	बहराइच के हुजूरपुर के कलूयापुर में पाईप पेयजल योजना	1	238.87	119.44	119.44	238.87	59.7175	59.7175	119.435
26	तदैव	बहराइच के बलहा के बेहटा में पाईप पेयजल योजना	1	280.71	140.36	140.36	280.71	70.1775	70.1775	140.355
		योग	**09**		**1222.68**	**1222.68**	**2445.29**	**611.3225**	**611.3225**	**1222.645**
27	**बलरामपुर**	बलरामपुर के तुलसीपुर के भाग्याकंला में पाईप पेयजल योजना	1	249.51	124.76	124.76	249.51	62.3775	62.3775	124.755
28	तदैव	बलरामपुर के तुलसीपुर के रेहरा में पाईप पेयजल योजना	1	353.59	176.80	176.80	353.59	88.3975	88.3975	176.795
		योग	**02**		**301.56**	**301.56**	**603.10**	**150.775**	**150.775**	**301.55**
29	**गाजीपुर**	गाजीपुर के भदौरा के खजूरी में पाईप पेयजल योजना	1	237.35	118.68	118.68	237.35	59.3375	59.3375	118.675
30	तदैव	गाजीपुर के भदौरा के सिहानी में पाईप पेयजल योजना	1	163.80	81.90	81.90	163.80	40.95	40.95	81.90
31	तदैव	गाजीपुर के भदौरा के उसिया में पाईप पेयजल योजना	1	978.33	489.17	489.17	978.33	244.583	244.583	489.166
		योग	**03**		**689.75**	**689.75**	**1379.48**	**344.8705**	**344.8705**	**689.741**
32	**मेरठ**	मेरठ के खरखौदां के साफियाबाद लोती में पाईप पेयजल योजना	1	289.74	144.87	144.87	289.74	72.435	72.435	144.87
		योग	**01**		**144.87**	**144.87**	**289.74**	**72.435**	**72.435**	**144.87**
33	**मुरादाबाद**	मुरादाबाद के भगतपुर टाण्डा के मलहुपुर हरदौंदी में पाईप पेयजल योजना	1	194.06	97.03	97.03	194.06	48.515	48.515	97.03

http://shasanadesh.up.gov.in

34	तदैव	मुरादाबाद के भगतपुर टाण्डा के मुडिया में पाईप पेयजल योजना	1	216.12	108.06	108.06	216.12	54.03	54.03	108.06
35	तदैव	मुरादाबाद के भगतपुर टाण्डा के बिलाकुदन में पाईप पेयजल योजना	1	255.95	127.98	127.98	255.95	63.9875	63.9875	127.975
36	तदैव	मुरादाबाद के भगतपुर टाण्डा के मलवारा ऊर्फ मनपुर में पाईप पेयजल योजना	1	232.65	116.33	116.33	232.65	58.1625	58.1625	116.325
37	तदैव	मुरादाबाद के भगतपुर टाण्डा के रानी नागल में पाईप पेयजल योजना	1	211.80	105.90	105.90	211.80	52.95	52.95	105.90
38	तदैव	मुरादाबाद के बिलारी के धरमपुरकला में पाईप पेयजल योजना	1	263.08	131.54	131.54	263.08	65.77	65.77	131.54
39	तदैव	मुरादाबाद के बिलारी के थानवला में पाईप पेयजल योजना	1	377.25	188.63	188.63	377.25	94.3125	94.3125	188.625
40	तदैव	मुरादाबाद के बिलारी के शेयोधरा में पाईप पेयजल योजना	1	349.18	174.59	174.59	349.18	87.295	87.295	174.59
41	तदैव	मुरादाबाद के बिलारी के कबरी अब्बल में पाईप पेयजल योजना	1	242.40	121.20	121.20	242.40	60.60	60.60	121.20
42	तदैव	मुरादाबाद के छजलैट के सवाला में पाईप पेयजल योजना	1	245.98	122.99	122.99	245.98	61.495	61.495	122.99
43	तदैव	मुरादाबाद के मुण्डापाण्डेय के अक्का दिलारी में पाइप पेयजल योजना	1	241.98	120.99	120.99	241.98	60.495	60.495	120.99
		योग	**11**		**1415.24**	**1415.24**	**2830.45**	**707.6125**	**707.6125**	**1415.225**
44	रामपुर	रामपुर के मिल्क के चकिया हयातनगर में पाईप पेयजल योजना	1	178.76	89.38	89.38	178.76	44.69	44.69	89.38
45	तदैव	रामपुर के शाहदाब के रेवरीकला में पाईप पेयजल योजना	1	167.20	83.60	83.60	167.20	41.80	41.80	83.60
		योग	**02**		**172.98**	**172.98**	**345.96**	**86.49**	**86.49**	**172.98**
46	सहारनपुर	सहारनपुर के नागल के बनहेडाखस में पाईप पेयजल योजना	1	510.07	255.04	255.04	510.07	127.518	127.518	255.036
		योग	**01**		**255.04**	**255.04**	**510.07**	**127.518**	**127.518**	**255.036**
47	श्रावस्ती	श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी के वर्गा वर्गी में पाईप पेयजल योजना	1	185.16	92.58	92.58	185.16	46.29	46.29	92.58
48	तदैव	श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी के चालवा में पाईप पेयजल योजना	1	419.03	209.52	209.52	419.03	104.758	104.758	209.516

http://shasanadesh.up.gov.in

49	तदैव	श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी के पतिग्या में पाईप पेयजल योजना	1	283.61	141.81	141.81	283.61	70.9025	70.9025	141.805
50	तदैव	श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी में पाईप पेयजल योजना	1	268.23	134.12	134.12	268.23	67.0575	67.0575	134.115
		योग	**04**		**578.03**	**578.03**	**1156.03**	**289.008**	**289.008**	**578.016**
51	सिद्धार्थ नगर	सिद्धार्थनगर के ईटावा के मौसा में पाईप पेयजल योजना	1	157.72	78.86	78.86	157.72	39.43	39.43	78.86
52	तदैव	सिद्धार्थनगर के ईटवा के खण्डसारी में पाईप पेयजल योजना	1	148.24	74.12	74.12	148.24	37.06	37.06	74.12
53	तदैव	सिद्धार्थनगर के भनवापुर के सेहपारा में पाईप पेयजल योजना	1	143.14	71.57	71.57	143.14	35.785	35.785	71.57
54	तदैव	सिद्धार्थनगर के भनवापुर के बनिया में पाईप पेयजल योजना	1	144.33	72.17	72.17	144.33	36.0825	36.0825	72.165
55	तदैव	सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के भटगवा में पाईप पेयजल योजना	1	163.15	81.58	81.58	163.15	40.7875	40.7875	81.575
56	तदैव	सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के कुरिया रघुपुर सिंह में पाईप पेयजल योजना	1	148.23	74.12	74.12	148.23	37.0575	37.0575	74.115
57	तदैव	सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के जंगलीपुर में पाईप पेयजल योजना	1	192.26	96.13	96.13	192.26	48.065	48.065	96.13
58	तदैव	सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के अजगारा में पाईप पेयजल योजना	1	156.97	78.49	78.49	156.97	39.2425	39.2425	78.485
59	तदैव	सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के खानतारा में पाईप पेयजल योजना	1	164.10	82.05	82.05	164.10	41.025	41.025	82.05
60	तदैव	सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के केवतली में पाईप पेयजल योजना	1	178.95	89.48	89.48	178.95	44.7375	44.7375	89.475
61	तदैव	सिद्धार्थनगर के मिठवल के विशुनपुरवा में पाईप पेयजल योजना	1	161.98	80.99	80.99	161.98	40.495	40.495	80.99
62	तदैव	सिद्धार्थनगर के मिठवल के खमरिया में पाईप पेयजल योजना	1	157.32	78.66	78.66	157.32	39.33	39.33	78.66
63	तदैव	सिद्धार्थनगर के मिठवल के मनकौरा में पाईप पेयजल योजना	1	171.52	85.76	85.76	171.52	42.88	42.88	85.76

http://shasanadesh.up.gov.in

64	तदैव	सिद्धार्थनगर के मिठवल के गुम्ची में पाईप पेयजल योजना	1	168.61	84.31	84.31	168.61	42.1525	42.1525	84.305
		योग	**14**		**1128.29**	**1128.29**	**2256.52**	**564.13**	**564.13**	**1128.26**
		महायोग	**64**		**7324.54**	**7324.54**	**14648.75**	**3662.189**	**3662.189**	**7324.378**

3- उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-15 (ख) में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित है :-

"यदि प्रशासकीय विभाग किसी प्रकरण में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते हैं तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते है।"

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (सी0एल0डी0एफ0)** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 तथा योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत प्रश्नगत पेयजल के निर्माण का मानक वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के ग्राम्य विकास/पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित है।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी।

(8)- धनराशि आहरित कर बैंक पी0एल0ए0 आदि में नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 29.07.2019 एवं 22.03.2019, 30.03.2018, 24.04.2018, 21.06.2017, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(11)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

http://sikshanadesh.up.gov.in

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 29.07.2019 एवं 22.03.2019 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- निर्माण कार्य निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर निर्माण कार्य न किया जाय । सम्बन्धित परियोजना हेतु धनराशि जारीकरने से पूर्व परियोजना के लिए निंविवादित एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी यदि उपयुक्त/निर्विवादित भूमि पर परियोजना का निर्माण न होने की स्थिति में धनराशि के निष्फल व्यय की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(18)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा तथा गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जाय।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **"0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना -(के० 50 /रा० 50-के०+रा०)-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-708/दस-2019, दिनांक 27.08.2019 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-970(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जल आपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (सी0एल0डी0एफ0)** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भदोही, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, गाजीपुर, मेरठ एवं मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://sirsanadesh.up.gov.in